राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (109)/2016/376 दिनांकः 12-08-2016

कार्यालय–आदेश

संयुक्त शासन सचिव,(परिवहन) परिवहन विभाग,राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.17(16) परि/2009/जयपुर दिनांक 12.8.2016 से वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101603120 दिनांक 09.08.2016 के अनुसरण में रक्षाबन्धन पर्व पर दिनांक 18.08.2016 के अवसर पर राजस्थान की समस्त बालिकाओं एवं महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों (अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) राजस्थान राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः उक्त की अनुपालना में रक्षाबन्धन पर्व पर दिनांक 18.08.2016 के अवसर पर **"18. अगस्त .2016" के दिन** (केवल एक दिन) विभिन्न मार्गो पर संचालित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों (अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त) में केवल राजस्थान राज्य क्षैत्र/सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) मे राजस्थान की महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रक वितरक/परिचालक इस दिवस हेतु निःशुल्क यात्रा टिकिट जारी कर सकेगें। परिचालक, E.T.I.M.(Electronic Ticket Issuing Machine)से टिकिट जारी करेगें तथा टिकट पर "बालिका/महिला यात्री" एवम् दिनांक अंकित किया जाना आवश्यक होगा। पत्रक वितरक/परिचालक इस एक दिवस के लिये निःशुल्क यात्रा के लिये टिकिट जारी करने में एकरूपता रखने के उद्धेश्य से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1 यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल दिनांक 18.08.2016 (एक दिवस) के लिये दी गई है। एक दिवस का तात्पर्य कलेण्डर दिवस (दिनांक 18.8.2016 को 00.00 बजे से रात्रि 24.00 बजे तक) होगा।

2 कलेण्डर दिवस की समयावधि (दिनांक 18.8.2016 को 00.00 बजे से रात्रि 24.00 बजे तक) में महिलाओं तथा बालिकाओं को यात्रा के लिए जारी टिकिटों पर निःशुल्क यात्रा मान्य होगी। इस दिवस की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी देय होगी।

3 अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देय नही होगी तथा अन्य श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र/सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) तक ही मान्य होगी।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

कमांकः–एफ–4/मु0/याता./लेखा(109)/2016/376 दिनांकः 12-08-2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक ,माननीय परिवहन मंत्री महोदय,शासन सचिवालय ,राजस्थान सरकार ,जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक ,माननीय राज्य मंत्री(परिवहन)राजस्थान सरकार,जयपुर ।
3. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
4. प्रमुख शासन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग,राजस्थान सरकार,जयपुर।
5. निजी सचिव,अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
6. अध्यक्ष महिला आयोग राजस्थान राज्य,जयपुर ।
7. संयुक्त शासन सचिव,परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर को उनके पत्रांक प.17(16) परि/2009/ जयपुर दिनांक 12.8.2016 के कम में।
8. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
9. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक( ) रा प नि मुख्यालय जयपुर।
10. उप महा प्रबन्धक(सांख्यिकी)/(आई.टी.)राज0 परि0 निगम मुख्यालय जयपुर,उक्त के लिए **E.T.I.M./Computer programme** में टिकिट जारी करने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा इस आदेश को निगम बेवसाईट पर भी उपलब्ध करावें । निःशुल्क यात्रा के वित्तीय भार की संकलित सूचना से अवगत करावे ।
11. कार्यकारी प्रबन्धक ( )/निगम सचिव राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
12. कार्यकारी प्रबन्धक(जन सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक प्रचार–प्रसार करावें ।
13. लेखाधिकारी (टिकिट) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
14. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम ....आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क एवं रियायती टिकिटों के सम्बन्ध में प्रकिया एवं रिकार्ड का संधारण से सम्बन्धित कार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों/परिचालकों एवम् सभी सम्बन्धितों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। रक्षा बन्धन पर्व वर्ष–2016 (दिनांक 18.8.2016) को प्रदत निःशुल्क यात्रा सुविधा से निगम पर पडने वाले बित्तीय भार की सूचना प्रपत्र 'क'(पृष्ठ भाग पर)में उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी) मुख्यालय, जयपुर को आवश्यक रूप से दिनांक 24.8 2016 तक भेजना सुनिश्चित करे।

12/8/16
(सोहन लाल धाबका)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

(प्रपत्र क)

दिनांक 18.8.2016 (रक्षा बन्धन दिवस) पर बालिकाओं/महिलाओं द्वारा की गई निःशुल्क यात्राओं से पडने वाले वित्तीय भार का विवरण

आगार---------

क्रसं.	नाम परिचालक	वाहन संख्या	मार्ग का नाम	E.T.I.M. No/ वेबिल संख्या ....से ....तक	निःशुल्क यात्रा सुविधा से लाभान्वित बालिकाओं/महिलाओं की संख्या	निःशुल्क यात्रा से पडने वाले वित्तीय भार की राशि (रूपये)	विशेष विवरण

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 18.8.2016 को बालिकाओं /महिलाओं की निःशुल्क यात्रा से सम्बन्धित कोई विवरण उक्त सूचना में छूटा नही है ।

2. सम्बन्धित रिकार्ड आवश्यकता पडने पर निरीक्षाणार्थ सुरक्षित रख लिया गया है ।

हस्ताक्षर

मुख्य प्रबन्धक

आगार ....

हस्ताक्षर

प्रबन्धक (वित्त)

आगार....................